अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः–

# कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः–16

दिनांकः–13.08.2012
वार :– सोमवार
समयः– दोपहर– 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 25.06.2012 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

| | |
|---|---|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत | उपसभापति एवं सदस्य |
| 2. श्री फूल सिंह मीणा | सदस्य |
| 3. श्री अर्चना शर्मा | सदस्य |
| 4. श्री महोम्मद खलील | सदस्य |
| 5.. श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला | सदस्य |
| 6. श्री दुर्गेश जी | सदस्य |
| 7. श्री सत्यनारायण आचार्य | आयुक्त एवं सदस्य सचिव |
| 8. श्री सिराजुद्धीन | सर्वेयर |
| 9. श्री करीमुद्धीन | सर्वेयर |

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 25.06.2012 की बैठक संख्या 15 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिनांक 4.7.11 से पूर्व की बैठकों में जिन पत्रावलियों पर निर्णय हुआ था एवं भूखंडधारियों ने नियमन की राशि जमा नही करवाई उनकी पत्रावलियों पर की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त कर भूखंडधारियों को सूचित कर दिया गया था। उसी अनुसार दिनांक 25.06.12 से पूर्व की बैठकों में जिन पत्रावलियों पर निर्णय हो चुका है एवं भूखंडधारियों द्वारा नियमन की राशि अभी तक जमा नहीं कराई है। उन्हें 31.08.12 तक का समय देते हुए अंतिम पत्र जारी करें दिनांक 31.08.12 तक राशि जमा नहीं कराते है तो उनकी पत्रावलियों पर की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए भूखंडधारियों को सूचित कर दिया जावे। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की तत्पश्चात् समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

## अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः—

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 8, सेवाश्रम योजना | श्री राम चन्द्र बारबर पिता श्री हर लाल बारबर | प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सत्यनारायण तेली पिता श्री सोहन लाल तेली एवं भैरू लाल पिता श्री मांगी लाल तेली के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने भूतल + दो मंजिल भवन मय बंद गोखडे के बना रखा है। प्रार्थी बदं गोखडे एवं द्वितिय तल का नियमन चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी 3′–0″ निकासु के अलावा अधिक निकाले गए निकासु को तोडकर फोटो प्रस्तुत करे। |
| **2.** | 91–92, हिरण मगरी से नं. 3, उदयपुर | श्री मिठु लाल पिता मोती लाल एवं श्रीमति मधुबाला पति श्री मिठु लाल | प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण/लीज डीड एवं संयुक्तीकरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री पी.एम झाला एवं बी.एस झाला पिता श्री जसवंत सिंह झाला के नाम पर है। प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार भूखंड संख्या 92 पर भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं है तथा सेट बेक में विचलन होना पाया गया है। प्रार्थी जिसका नियमन एवं संयुक्तीकरण करवाना चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किए गए निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं नियमानुसार संयुक्तीकरण शुल्क लिया जावे। |
| **3.** | 107, हिरण मगरी से नं. 13, उदयपुर | श्री राहुल जैन पिता ज्ञान चन्द्र जैन | प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति विमला जैन पति श्री ज्ञानचंद जैन के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रिलीज डीड से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने गैराज की जगह कमरा बना लिया है तथा सेट बेक में विचलन कर रखा है। तथा प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा गैराज की जगह कमरे में परिवर्तन करने से उसकी शास्ती 5000 रूपये वसूल होगी तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |

## अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः—

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | 28, पाठों की मगरी, उदयपुर | श्रीमति उषा रानी भटनागर | प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री पी.एस भटनागर पिता श्री वजेन्द्र स्वरूप के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड पारिवारिक समझौता पत्र से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने गैराज को कमरे में परिवर्तित कर लिया गया है एवं गैराज के ऊपर भी चौकीदार का कमरा बनाया गया है। प्रार्थी ने सेट बेक में भी आंशिक निर्माण किया गया है एवं कुछ हिस्से में बिना स्वीकृति के निर्माण किया गाय है। जिसका नियमन चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा गैराज की जगह कमरे में परिवर्तन करने से उसकी शास्ती 5000 रूपये वसूल होगी एव प्रथम तल पर गैराज पर कमरे का निर्माण किया उसकी शास्ती 3000/— रूपये वसूल होगी एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। |
| **5.** | भ.अ/21/11—12 भोईवाडा, सीमेंट रोड, उदयपुर | श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक चन्द्र एवं श्रीमति हेमलता देवी पति इन्द्र लाल | प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर भूतल में दुकान एवं प्रथम, द्वितिय, तृतीय एवं चतुर्थ तल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14'—0'' चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण में सभी सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे। |
| **6.** | भ.अ/174/08—09 446, भुपालपुरा, उदयपुर | श्री सज्जन लाल पिता गेहरी लाल जैन (दाबडा)एवं श्रीमति सुभद्रा देवी पति सज्जन लाल दावडा | प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 15.7. 2009 को नियमानुसार सामने से 20'—0'' साईड से 15'—0'' एवं 6'—0'' एवं पीछे से 10'—0'' सेट बेक छोडते हुए बेसमेंट, पार्किंग भूतल + दो मंजिल वाणिज्यिक भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेंक में निर्माण किया एवं अतिरिक्त मंजिल तृतीय तल का निर्माण किया गया प्रार्थी ने सामने के सेट बेक में सिढीयां आदि बना रखी है। जिससे पार्किंग अवरूद्ध हो रही है एवं रैम्प भी पीछे के सेट बेक में बनाया गया है। जिसका निमयन कराना चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रार्थी ने जो सामने के सेट बेक मे सिढीयां बना रखी है। उसे हटाकर फोटो प्रस्तुत करे एवं नीचे जाने का रैम्प भी सामने की तरफ से साईड सेट बेक में दर्शावें,उसके पश्चात् प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण कर रखा है। उसकी शास्ती वाणिज्यिक आरक्षित दर से ली जावे एवं अतिरिक्त मंजिल तृतीय तल की शास्ती वाणिज्यिक आरक्षित दर से ली जावे एवं पार्किंग की कमी की राशि 50,000/— रूपये प्रति ई.सी.यू से ली जाकर नियमन किया जावे। |

## अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः—

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| **7.** | भ.अ / 55 / 09—10 35,36 भाण बाग, फतेहपुरा योजना, उदयपुर | श्री भूपेन्द्र सिंह मेहता पिता संग्राम सिंह मेहता | प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 5.10. 2009 को सामने से 30′—0′′ एवं तीनों तरफ से 10′—0′′ — 10′—0′′ सेट बेक छोडते हुए स्टील्ड पार्किंग व भूतल + तीन मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने मौके पर सेट बेक में निर्माण किया एवं निकासु बनाया एवं फोर्थ एवं फिफ्त फ्लोर बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। जिसका नियमन करना चाहता है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने वॉटर हार्वेस्टिंग बनाया या नहीं की रिपोर्ट ली जावे। उसके पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। |
| **8.** | भ.अ / 25 / 96—97 31, शिवमार्ग, तेलीवाडा, उदयपुर | श्री शंकर लाल बया, लक्ष्मी देवी, रमेश चन्द्र, विजय, कमलेश पिता केशरीमल बया | प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 3.9.93 को आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर पूरे भवन को व्यवसाय, दुकाने बना दी गई है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि / एफ 7 (ड) (05) डी एल बी / 12 / 3539 दिनांक 22.5.2012 के अनुसार व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन आवश्यक है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जावे। |
| **9.** | भ.अ / 62 / 12—13 34 / 289, बापू बाजार, उदयपुर | श्री हर्ष अग्रवाल एवं अनिल अग्रवाल पिता श्री सुरेश चन्द्र जी अग्रवाल | प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 17.01.73 को भूतल में दुकान एवं पूरब व दक्षिणी तरफ बरामदा एवं प्रथम एवं द्वितिय तल में आवासीय भवन जिसमें पूरब व दक्षिणी तरफ बरामदा रखते हुए स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध भूतल में बरामदे को दुकानों में शामिल मिला लिया गया है एवं तृतीय तल को छत लेवल तक बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। जिसका नियमन चाहते है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णय हेतू रखा जावे। |
| **10.** | भ. अति / 186 / 11—12 छबीला भैरू मार्ग, उदयपुर | श्रीमति पुष्पा जैन पति श्री शुरवीर जैन एवं अन्य | प्रार्थी द्वारा भवन अनुमति क्रमांक भ.अ / 17 / 09—10 के विपरीत भूतल + एक मंजिल के बजाय एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण करवा दिया एवं भूमि तल पर दुकानों का निर्माण करवा दिया गया है। जिसे स्वीकृति विरूद्ध होने से नगर परिषद् द्वारा सीज कर दिया गया। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौका देखकर आगामी बैठक में रखा जावे। |

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः—

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| **11.** | भ.अ / 44 / 08–09 मकान नं. 13 / 72, नाईवाडा चौक, उदयपुर | श्रीमति कनीज फातिमा पिता श्री शेमुन हुसैन | प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 19.06.2009 को भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध भूतल में दुकानों का निर्माण किया एवं प्रथम, द्वितिय तल में निकासु बनाया एवं तृतीय तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। प्रार्थी ने जो पूरब तरफ निकासु छज्जा बनाया था उसे नगर परिषद् द्वारा गिरा दिया गया था एवं भूतल में बनी दुकानों को सीज किया गया एवं तृतीय तल पर न्यायालय की यथास्थिति होने से गिराया नहीं गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीज खुलाने एवं स्वीकृति के विरूद्ध किये गये निर्माण को नियमन कराने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय से वाद उठाने बाबत भी प्रार्थी ने कहा गया है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी एवं शिकायतकर्त्ता के न्यायालय में आपसी राजीनामा होने की आदेश की प्रति प्रस्तुत की जावे। साथ ही नगर परिषद् के विरूद्ध जो स्थगन आदेश /वाद दायर किया गया हैं उसे हटाने का शपथ पत्र लिया जावे। उसके पश्चात् भूतल में जो दुकाने सीज की हुई है उसे सीज मुक्त किया जावे। उसके पश्चात् प्रार्थी सर्वप्रथम दुकाने के लगे शटर हटाकर आवासीय भवन बनाकर फोटो प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् न्यायालय से वाद विड्रो होने के पश्चात् होने के पश्चात् प्रार्थी के प्रकरण पर निकासु निर्माण की शास्ती आवासी डी एल सी रेट की 20 प्रतिशत से तथा बिना स्वीकृति अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की शास्ती भी आवासीय डी एल सी रेट के 20 प्रतिशत से तथा गोलाई की स्वयं की भूमि जो परिषद् द्वारा छुडवाई गई थी भवन में शामिल कर दी है उसकी राशि आवासीय डी एल सी रेट से वसूल करते हुए नियमन किया जाने का निर्णय लिया गया। |

## अपराधों का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 13.08.2012 का कार्यवाही विवरणः—

| क्रम संख्या | भूखंड संख्या का नाम | प्रार्थी का नाम | विवरण | समिति निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| **12.** | 87, पाठों की मगरी, उदयपुर | श्री प्रदीप कुमार भटनागर एवं श्री दीलीप कुमार भटनागर पिता श्री रतन सिंह भटनागर | प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रतन सिंह पिता श्री केसर सिंह के नाम पर है, प्राथीं ने उक्त भूखंड दानपत्र से प्राप्त किया है। | प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बिना स्वीकृति के निर्माण की शास्ती 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जावे। |

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

कमांकः— नपउ/भ.वि/12—13/

दिनांकः—

प्रतिलिपि सूचनार्थ :—

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2 श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमेान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.......................................................................................समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ................................................शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर